मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012-अग्रहायण 16, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सुनीता कुमारी पुत्री श्री हरी सिंह था. दिनांक 21 जनवरी, 2006 को मेरा विवाह श्री राजीव गोयल, निवासी बी-66, आदित्यपुरम्, भिण्ड रोड, ग्वालियर के साथ हो चुका है. विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती सुनीता गोयल पत्नी श्री राजीव गोयल हो गया है. अत: भविष्य में मुझे श्रीमती सुनीता गोयल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे. सभी दस्तावेजों में मेरे उपनाम के रूप में श्रीमती सुनीता गोयल पत्नी श्री राजीव गोयल अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(सुनीता कुमारी)

पुत्री श्री हरी सिंह.

(210-बी.)

नया नाम :

(सुनीता गोयल)

पत्नी श्री राजीव गोयल,

निवासी-बी-66, आदित्यपुरम्, भिण्ड रोड, ग्वालियर.

CHANGE OF NAME

I, RAJESH KUMAR GHAI S/o Late Virendra Nath Ghai R/o H-44/A, Apsara Complex, Indrapuri, District Bhopal-462023 (M. P.) has change my name and hence-forth I, shall be known as RAJESH GHAI (To) RAJESH KUMAR GHAI in future.

Old Name :

(RAJESH GHAI)

(211-B.)

New Name :

(RAJESH KUMAR GHAI)

Address—H-44/A, Apsara Complex, Indrapuri,
District Bhopal-462023 (M. P.).

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम कीर्ति शिवहरे था. अंतर्जातीय विवाह के पश्चात् मेरा नाम सबा खान हो गया है. अत: मुझे मेरे विवाह पश्चात् नये नाम सबा खान के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(कीर्ति शिवहरे)

(213-बी.)

नया नाम :

(सबा खान)

23, चटाईपुरा, गली नं. 01,

भोपाल (म. प्र.).

उपनाम परिवर्तन

मैं, आवेदक गणेश सोनझरे, अपना उपनाम परिवर्तित कर अरमरकर कर दिया है. चूंकि मेरे समस्त अभिलेखों में गणेश सोनझरे अंकित है. अत: इसे अब गणेश अरमरकर पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(गणेश सोनझरे)

नया नाम :

(गणेश अरमरकर)

वार्ड नं. 02, आवास कॉलोनी, ग्राम पो. लांजी,
तहसील लांजी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश).

(215-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. अनुराग सिटी सेन्टर जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है. इस फर्म में कुछ संशोधन किया जा रहा है. फर्म के पार्टनर डॉ. रूद्र दत्त खरे, मोहित गुप्ता, अभय अग्रवाल थे, जिसमें से अभय अग्रवाल व मोहित गुप्ता फर्म से दिनांक 19 मार्च, 2012 को अपना हिसाब करवाकर अलग हो गए हैं. दिनांक 05 जून, 2012 को डॉ. राजीव खरे इस फर्म के नये पार्टनर बन गए हैं. अब मे. अनुराग सिटी सेन्टर में डॉ. रूद्र दत्त खरे व राजीव खरे ही पार्टनर हैं. यदि किसी व्यक्ति को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आज दिनांक से 15 दिवस के भीतर फर्म एण्ड सोसायटी कार्यालय, सागर में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. इसके बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

डॉ. आर. डी. खरे,
(पार्टनर)
अनुराग सिटी सेन्टर, छतरपुर (म. प्र.).

(212-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ए. वी. इंटरप्राइजेज, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर साझेदारी में दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 से चल रही है जिसका रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00210/11 सन् 2011-12 है. दिनांक 25 जनवरी, 2012 से फर्म में श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री बाबूलाल गोयल, निवासी माधव नगर, लश्कर, ग्वालियर तथा श्री नयन सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, निवासी-1/ए, द्वारिकापुरी, लश्कर, ग्वालियर नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं, सूचित हो.

2. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स ए. वी. इंटरप्राईजेज, दाल बाजार, ग्वालियर साझेदारी में दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 से चल रही है. दिनांक 24 अप्रैल, 2012 को फर्म के दो साझेदार श्रीमती रेनू गोयल पत्नी श्री अशोक गोयल, निवासी दाल बाजार, ग्वालियर तथा श्रीमती ललिता देवी गर्ग पत्नी श्री मोहन गर्ग, निवासी दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा उपरोक्त फर्म से फर्म की सम्पत्ति से दिनांक 24 अप्रैल, 2012 से अब कोई संबंध नहीं रहा है. अब वर्तमान में फर्म के शेष पार्टनर ही फर्म का कारोबार संचालित कर रहे हैं. सूचित है इस संबंध में अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो वह 7 दिन के अंदर फर्म से संपर्क करें.

प्रमोद कुमार गुप्ता,
मैसर्स ए. वी. इन्टरप्राइजेज,
आयकर भवन के पीछे, सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

(214-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 22 नवम्बर, 2012

क्र./जनगणना/एन.पी.आर./2012-13.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1/2002/दो-ए (3), दिनांक 16 फरवरी, 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अंतर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य"

का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. 4 में एन. पी. आर. पद नाम एवं कॉलम नं. 5 में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है.:—

क्रम संख्या	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	तहसील मुरैना	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मुरैना	तहसील मुरैना के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
2.	तहसील अम्बाह	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील मुरैना	तहसील अंबाह के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
3.	तहसील पोरसा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील पोरसा	तहसील पोरसा के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
4.	तहसील जौरा	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील जौरा	तहसील जौरा के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
5.	तहसील कैलारस	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील कैलारस	तहसील कैलारस के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
6.	तहसील सबलगढ़	तहसीलदार	उप जिला रजिस्ट्रार, तहसील सबलगढ़	तहसील सबलगढ़ के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर).
7.	नगरपालिका मुरैना	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका मुरैना	नगरपालिका मुरैना के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
8.	नगरपालिका अंबाह	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका अंबाह	नगरपालिका अंबाह के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
9.	नगरपालिका पोरसा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर पालिका पोरसा	नगरपालिका पोरसा के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
10.	नगरपालिका सबलगढ़	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगरपालिका सबलगढ़	नगरपालिका सबलगढ़ के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
11.	नगर परिषद बानमोर	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद बानमोर	नगर परिषद बानमोर के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
12.	नगर परिषद जौरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद जौरा	नगर परिषद जौरा के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
13.	नगर परिषद कैलारस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद कैलारस	नगर परिषद कैलारस के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
14.	नगर परिषद झुण्डपुरा	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	उप जिला रजिस्ट्रार, नगर परिषद झुण्डपुरा	नगर परिषद झुण्डपुरा के अंतर्गत पड़नेवाला सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.
15.	संबंधित ग्राम	पटवारी	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.
16.	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित गांव/जनगणना नगर/बाह्य वृद्धि का सम्पूर्ण क्षेत्र.

उप-जिला रजिस्ट्रार अपने अधीनस्थ पड़ने वाले स्थानीय रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1/2012/दो-ए (3) दिनांक 16 फरवरी, 2012 के तहत जारी कर सकेंगे.

डी. डी. अग्रवाल,
जिलाध्यक्ष एवं उप सचिव/अति. सचिव
एवं जिला रजिस्ट्रार (एन.पी.आर.).

(580)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर, 2012

क्र. जी. बी. 5/(वि-1)/2012-13/4268.—शासकीय केन्द्रीय/क्षेत्रीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, रीवा में वर्ष 2012-13 में एकत्रित समस्त सफेद कागज की रद्दी कतरन एवं रील कोर के खाली गुटके के विक्रय हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत (पृथक्-पृथक् लिफाफे में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा अंकित कर) मुहरबन्द निविदा दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है.

निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अनुबंध को वेबसाइट **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर रखा गया है.

निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 सायं 4.00 बजे तक राशि रुपये 500/- नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है. वेबसाइट से डाऊनलोड की गई निविदा के साथ रुपये 500/- की डी. डी. संलग्न करना अनिवार्य होगा. डाक से निविदा प्रपत्र मंगाने हेतु रुपये 600/- (रुपये छः सौ) का राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से भेजें जो दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 तक प्राप्त हो जाना चाहिये. डाक से निविदा प्रपत्र प्राप्त होने में विलम्ब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 अपरान्ह 1.00 बजे निर्धारित है. तकनीकी निविदाएं दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जावेंगी.

यू. एन. सिन्हा,
संयुक्त नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(597)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 01/बी-113/12-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि ''द नरोन्हा सांकल डे केयर ट्रस्ट'' ग्राम नरोन्हा साकल, ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल की ओर से स्थाई ट्रस्टी राहुल नरोन्हा द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	''द नरोन्हा सांकल डे केयर ट्रस्ट''.
		ग्राम नरोन्हा साकल, ब्लाक फंदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
चल सम्पत्ति	..	रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये).
अचल सम्पत्ति	..	..

आज दिनांक 7 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(578)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर

दिनांक 16 नवम्बर, 2012

प्ररूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1952 का नियम-5 (1) देखिये]

चूंकि ठा. चन्द्रप्रताप सिंह पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी अमर इंजीनियरिंग फैक्ट्री जेल रोड खुरई, तहसील- खुरई, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 24 जनवरी, 2013 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, सुरेश अग्रवाल, अनुविभागीय अधिकारी, राहतगढ़, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 24 जनवरी, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम . . माँ ज्वालादेवी सेवा ट्रस्ट, ग्राम जलंधर, तहसील राहतगढ़, जिला सागर.

चल सम्पत्ति के ब्योरे—

क्रमांक	चल सम्पत्ति- जेबर
(1)	(2)
1.	माँ के दो मुकुट चाँदी के बजन 500 ग्राम कीमत 14500/- रुपये.
2.	माँ की पायलें चाँदी की चार नग बजन 1 किलो कीमत 29000/- रुपये.
3.	माँ की करधोनी चाँदी की 2 नग बजन 500 ग्राम कीमत 14500/- रुपये.
4.	माँ का छत्र बड़ा चाँदी का 1 नग बजन 1 किलो 600 ग्राम कीमत 44000/-रुपये.
5.	माँ के छोटे-बड़े छत्र चाँदी के बजन 750 ग्राम कीमत 21000/- रुपये.
6.	माँ की पलंग पेटी (लोहे की) कीमत 4000/- रुपये.
7.	कठवा की चार पेटियां कीमत 10000/- रुपये.
8.	एक घंटा बड़ा काँसे-पीतल का 51 किलो कीमत 21000/- रुपये.
9.	एक सिंघासन लकड़ी कीमत 500/- रुपये.
10.	दो ट्यूबबेल मय समवरसीबल पंप सहित कीमत दो लाख रुपये.
11.	माँ की रजाई-गद्दा 12 नग कीमत 5000/-रुपये.
12.	तबेला बड़ा एलमुनियम 1 नग कीमत 1200/-रुपये.
13.	स्टील की थाली 7 नग कीमत 250/- रुपये.

(1)	(2)
14.	गैस सिलेण्डर 1 नग कीमत 2000/-रुपये.
15.	गैस चूल्हा 1 नग कीमत 1200/-रुपये.
16.	लोटा, कटोरा, गिलास 20 नग कीमत 200/-रुपये.
17.	लोहे की कढ़ाई 1 नग कीमत 300/-रुपये.
18.	इलेक्ट्रिक आरती मशीन कम्पलीट 1 नग कीमत 11900/-रुपये.
19.	शंख-झालर 4 नग कीमत 300/-रुपये.
20.	हारमोनियम 1 नग कीमत 3000/- रुपये.
21.	ढोलक 1 नग कीमत 600/-रुपये.
22.	झूला 2 नग कीमत 200/-रुपये.
23.	तारे 1 जोड़ी कीमत 100/-रुपये.
24.	एम्पलीफायर सेट 1 (दो स्टेण्ड, दो हार्न)कीमत 3300/-रुपये.
25.	लकड़ी की चौकी, पटा 5 नग कीमत 250/-रुपये.
26.	कपड़े के चदेबा (चाँदनी) 4 नग कीमत 2000/-रुपये.
27.	माँ की साड़ियां- ब्लाउस सहित 10 नग कीमत 1500/-रुपये.
28.	पाईप की तिगोडी 1 नग कीमत 500/-रुपये.
29.	चेनपाना 2 नग कीमत 1000/-रुपये.
30.	लोहे की तिजोड़ियां 3 नग कीमत 15000/-रुपये.
31.	सीलिंग फेन 7 बड़े, 2 छोटे कीमत 12500/-रुपये.
32.	अलटरनेटर एक नग कीमत 8000/- रुपये.
33.	बैंक खाता—

अचल सम्पत्ति—

1.	माँ ज्वालादेवी माई मंदिर जो कि 100 X 125= 12500 वर्गफीट में निर्मित है, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है.
2.	माँ ज्वालादेवी जलंधर स्थित मंदिर का सम्पूर्ण परिसर जो 5 हेक्टेयर में है,कीमत लगभग 15 लाख रुपये.
3.	रामलीला मैदान एवं मेला ग्राउण्ड जो कि 2 हेक्टेयर में है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये है.
4.	निर्मित तीन टंकियां, पानी हेतु (25 हजार लीटर, 12 हजार लीटर, 10 हजार लीटर) है, कीमत 2 लाख 25 हजार रुपये.
5.	श्री देव शिवालय (नर्मदेश्वर शिव पंचायत) मंदिर कीमत 3 लाख रुपये.
6.	श्री देव पाताली हनुमान जी का मंदिर कीमत 1 लाख रुपये.
7.	श्री देव हनुमान जी मडिया कीमत 5 हजार रुपये.
8.	माता ज्वालामाई का वर्तमान रसोई भवन कीमत लगभग 20 हजार रुपये.
9.	351 सीढ़ियों का जीना, गेट सहित कीमत 3 लाख रुपये.
10.	मेला ग्राउण्ड से दूसरी 90 सीढ़ियों का जीना कीमत 1 लाख, 25 हजार रुपये.
11.	मंदिर श्री वर्तमान धर्मशाला कीमत लगभग 6 लाख रुपये.

सुरेश अग्रवाल,
पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम- 5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि ''साई कृपा सेवा समिति एवं न्यास '' द्वारा श्री प्रभात सोनी पिता श्री नाथूराम सोनी अध्यक्ष, निवासी—बी. एम. 100, नेहरू नगर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम	. .	''साई कृपा सेवा समिति एवं न्यास ''
2.	अचल सम्पत्ति	. .	—
3.	चल सम्पत्ति	. .	50,000/- रुपये.

सुनील दुबे,
रजिस्ट्रार.

(599)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, गुना

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., वरखेड़ गिर्द	970/17-3-2003	179/16-2-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., गेइखेड़ा	1067/20-7-2005	180/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

एन. एस. बरेलिया,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(587)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	शक्तिपुंज महिला बहु. सह. संस्था मर्या., कीताखेड़ी	1031/14-9-2004	176/16-2-2012
2.	शक्तिपुंज महिला बहु. सह. संस्था मर्या., डुगासरा हाड़ा	1014/26-4-2005	177/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

जी. के. वाणी,
सहकारी निरीक्षक.

(588)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	हरी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., श्यामपुर	1135/16-9-2008	1091/09-10-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सरखण्ड़ा	1065/20-7-2005	1091/09-10-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विजय जैन,
सहकारी निरीक्षक.

(589)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पैंची	570/27-3-1999	181/16-2-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., भोगीपुरा	770/30-3-1995	189/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

जगदीश भील,
सहकारी निरीक्षक.

(590)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दीपक स्पीनर्स कर्म. प्राथ. उप. भण्डार मर्या., पगारा	875/20-7-1998	170/16-2-2012
2.	बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., बरखेड़ाहाट	1107/7-7-2006	173/16-2-2012
3.	शक्ति पुंज महिला बहु. सह. संस्था मर्या., गादेर	1053/25-4-2005	178/16-2-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बड़पुरा	1084/13-1-2006	200/16-2-2012
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बूड़ाखेड़ा	974/12-9-2002	201/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

विजय गुप्ता,
सहकारी निरीक्षक.

(591)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., देवगढ़ी	973/17-3-2003	184/16-2-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., खामखेड़ा	976/17-3-2003	186/16-2-2012
3.	गौरी दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मूड़राखुर्द	1070/29-8-2005	187/16-2-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मूड़राखुर्द	1069/29-8-2005	188/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय

प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. सी. कोरी,
सहकारी निरीक्षक.

(592)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रघुनाथपुर	1145/07-07-2009	198/16-2-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सकोन्या	1115/10-01-2007	142/16-2-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सूजाखेड़ी	1114/02-01-2007	191/16-2-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., रघुनाथपुर	979/17-03-2003	190/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

राम सिंह भील,
सहकारी निरीक्षक.

(593)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., भौरा	750/09-3-1995	182/16-2-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मगरौड़ा	757/02-3-1995	183/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

आर. सी. जाटव,
सहकारी निरीक्षक.

(594)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	शिव साग-सब्जी उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सह. संस्था मर्या., विनायकखेड़ी	924/27-9-2001	172/16-2-2012
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कादीखेड़ा	1142/7-7-2009	195/16-2-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., वरखेड़ी रामा	1143/7-7-2009	196/16-2-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., शंकरपुर	1144/7-7-2009	197/16-2-2012
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., वरखेड़ी महाराज	832/30-3-1996	199/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

सी. एम. धूलिया,
सहकारी निरीक्षक.

(595)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 नियम 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, गुना के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे निम्नलिखित/समितियों का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	इन्द्रा गांधी महिला बहु. सह. संस्था मर्या., गुना	898/14-7-2000	174/16-2-2012
2.	महिला स्वाधार बहु. साख सह. संस्था मर्या., गुना	907/28-3-2001	175/16-2-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पारकना	1117/10-01-2007	144/16-2-2012
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., नारायणपुर	1116/10-01-2007	193/16-2-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के नियम 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण-पत्र के दिये हों तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई.

गोपाल शर्मा,
सहकारी निरीक्षक.

(596)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया:—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्र./ दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक
1	2	3	4
1.	अवंतिका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन.	408/30-04-1956	क्र./परि./12/1732/31-08-12
2.	सांदीपनी सहकारी साख संस्था, उज्जैन.	295/04-07-1970	क्र./परि./12/1732/31-08-12
3.	क्षेत्रीय सोसा. सहकारी साख संस्था, उज्जैन.	jrujn/08-12-1970	क्र./परि./12/1732/31-08-12
4.	गांधी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	359/29-09-1973	क्र./परि./12/1732/31-08-12
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन.	536/04-06-1982	क्र./परि./12/1732/31-08-12
6.	गुरू बाकपेनाल सहकारी बैंक मर्यादित, उज्जैन.	1455/13-06-1997	क्र./परि./12/1732/31-08-12
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, मौलाखेड़ी	653/14-12-1988	क्र./परि./12/1732/31-08-12
8.	श्री गणेश कृषि सह. संस्था मर्या., मौलाखेड़ी	1548/29-03-2001	क्र./परि./12/1732/31-08-12
9.	अनुसूचित जाति कुक्कुट पालन सहकारी संस्था, उज्जैन.	752/19-05-1987	क्र./परि./12/1732/31-08-12
10.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, नवाखेडा पिपल्याराघो	250/07-06-1960	क्र./परि./12/1732/31-08-12

अत: मैं, एस. सी. शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाऐं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ. कि उपरोक्त तालिका के कॉलम-2 में वर्णित संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं जिला उज्जैन में मय प्रमाण के प्रत्येक सोमवार को कार्यालयीन समय में लिखित में प्रस्तुत करे, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. सी. शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(581)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 19 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/2298.—कार्यालयीन आदेश क्र. 263, दिनांक 06 फरवरी, 2008 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमला, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 526, दिनांक 23 अक्टूबर, 1982 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(582)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के तहत]

निषादराज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1310, दिनांक 18 जून, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के संबंध में सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली के पत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 में गम्भीर अनियमितताएं पाये जाने का उल्लेख किया गया है, प्रतिवेदन पर सहायक आयुक्त, सहकारिता (अंकेक्षण), जिला सागर द्वारा दिये गये अभिमत अनुसार संस्था अकार्यशील है. जिसके आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/12/2136, दिनांक 03 अक्टूबर, 2012 जारी कर निम्न आरोप अधिरोपित किये थे—

1. निषादराज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी, वि.ख. रहली, जिला सागर , मध्यप्रदेश रहली से ग्राम तिन्सी तक की दूरी लगभग 20 कि.मी. है, यह दूरी 08 कि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिये.
2. संस्था के अधिकांश सदस्य रहली के हैं.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई कार्य नहीं किया गया.
4. संस्था की पंजीकृत उपविधियों में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई कार्य नहीं किया गया.
5. संस्था के पास कोई भी तालाब नहीं है. सदस्यों को कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
6. संस्था को कार्यशील बनाने हेतु कोई रुचि नहीं ली जा रही है.
7. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

उपरोक्त आरोप अधिरोपित करते हुये उत्तर 30 दिवस के अन्दर चाहा गया था, अन्यथा की स्थिति में संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी. निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं हुआ और न ही कोई संस्था की ओर से उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि अधिरोपित आरोप स्वीकार हैं. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत निषादराज मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रहली/तिन्सी पंजीयन क्र 1310, दिनांक 18 जून, 2008 वि.खं. रहली, जिला सागर को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री कमलेश प्यासी संचालक,

श्री गणेश धाम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

श्री गणेश धाम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पिपरिया गोपाल, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1264, दिनांक 03 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-2011 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री राजेश कुमार मिश्रा संचालक,

संत कबीर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड, गढ़ाकोटा,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

संत कबीर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बजरंग वार्ड, गढ़ाकोटा, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1294, दिनांक 01 मार्च, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-11 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.

4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री सुदामा प्रसाद पटेल संचालक,

हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी,

वि.ख. सागर, जिला सागर.

हरिओम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मेनपानी, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1237, दिनांक 06 सितम्बर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-11 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.

2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.

3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.

4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583- C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्रीमती जयंती रानी संचालक,

शिवानी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,घोघरा,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

शिवानी बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,घोघरा, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1284, दिनांक 18 फरवरी,1980 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-11 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्रीमती रागनि/हरिदास कुर्मी संचालक,

श्रीराम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कुमरई,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

श्रीराम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,कुमरई, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1265, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-11 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री महेश कोरी संचालक,

संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गांधी वार्ड, गढ़ाकोटा,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

संस्कार बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गांधी वार्ड, गढ़ाकोटा, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1267, दिनांक 04 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-11 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री देव चरण विश्वकर्मा संचालक,

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,धनगुंवा,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., धनगुंवा, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1277, दिनांक 13 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2010-11 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया

गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री भागीरथ/मठू राठौर संचालक,

प्राथ. बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कर्रापुर,

वि.ख. सागर, जिला सागर.

प्राथ. बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या.,कर्रापुर, वि.ख. सागर, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1295, दिनांक 30 सितम्बर, 2007 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2009-10 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री गौरीशंकर चौकसे संचालक,

उदय बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुन्जौरा,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

उदय बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., गुन्जौरा, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1263, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2009-10 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री शीलचंद/परसादी संचालक,

गणेश प्राथ. बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

गणेश प्राथ. बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बरखेड़ा गौतम, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1262, दिनांक 31 जनवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2007-08 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्रीमती प्रेमलता संचालक,

स्नेहा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पटना वुजुर्ग,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

स्नेहा बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., पटना वुजुर्ग, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1269, दिनांक 04 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2007-08 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583- K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री लक्ष्मण/नन्हें भाई संचालक,

माँ हरसिद्धि बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., परासिया,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

माँ हरसिद्धि बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., परासिया, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1288, दिनांक 18 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2007-08 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया

गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

(583-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

श्री महेश सींग/जगत सींग संचालक,

प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरी खुर्द,

वि.ख. रहली, जिला सागर.

प्राथमिक बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., सहजपुरी खुर्द, वि.ख. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) पंजीयन क्रमांक 1292, दिनांक 28 फरवरी, 2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) के आडिट नोट वर्ष 2007-08 में गम्भीर अनियमितताएं किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) के संस्था की उपविधियों व सदस्यों के हितों के प्रतिकूल आचरण करने का तथ्य प्रकाश में आया है.

अत: इस कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से आपके विरुद्ध निम्न आरोप अधिरोपित किये जाते हैं.—

1. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से निर्वाचन नहीं कराया गया.
2. संस्था पंजीयन दिनांक से अकार्यशील है.
3. संस्था का जिन उद्देश्यों के लिये पंजीयन कराया गया था उनकी पूर्ति नहीं की गई.
4. संस्था व सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया.

उपर्युक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना संस्था हित में आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर अपेक्षा करता हूं कि अपना उत्तर 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें, क्यों न उक्त अनियमितताओं के लिये संस्था के विरुद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जावे. निर्धारित समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, अधिरोपित आरोप आपको स्वीकार हैं, तद्नुसार प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा. जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 08 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया.

एस. के. जैन,

(583-M) सहायक पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

महर्षि वाल्मिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./141, दिनांक 20 जनवरी, 1988 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1367, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महर्षि वाल्मिक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी.एल.गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./185, दिनांक 10 जनवरी, 1992 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1368, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम

से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस.सी..गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./366, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1361, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामचन्द्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजीव दपोलिया, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

नगर पालिका कर्म.साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./901, दिनांक 14 सितम्बर, 2000 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1362, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका कर्म.साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेश सगर,उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

सीमा सुरक्षाबल पुनर्वास साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./887, दिनांक 05 अप्रैल, 1999 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.

2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है

3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.

4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.

5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.

6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1364, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षाबल पुनर्वास साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिल माथुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

एल. एन. सी. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./147, दिनांक 01 अप्रैल, 1989 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1354, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एल. एन. सी. पी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./232, दिनांक 31 अक्टूबर, 1975 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1356, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी.एल.गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./893, दिनांक 16 अक्टूबर, 1999 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1370, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णा साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. डी. जेस्वानी, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

अमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./300, दिनांक 19 जनवरी, 2001 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1352, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री वाई. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

गायत्री बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./483, दिनांक 14 मार्च, 1985 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1351, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गायत्री बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री प्रमोद साठे, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

जय गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./376,दिनांक 16 जुलाई, 2004 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1349, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अतः मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस.आर. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

विजय लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./311, दिनांक 07 सितम्बर, 2002 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1350, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विजय लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश मंगल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(584-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./77, दिनांक 07 सितम्बर, 1979 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... सहकारी निरीक्षक/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया है
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील होकर निष्क्रिय है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1357, दिनांक 05 जुलाई, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 02 अगस्त, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर. के. वाजपेई, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोज श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. के. वाजपेई,
उप-पंजीयक.

(584-L)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यम वर्गीय लघुउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./103, दिनांक 20 सितम्बर, 1991 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1890, दिनांक 29 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर.सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यम वर्गीय लघुउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राम कुमार शर्मा व.स.नि. ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(585)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

नगर पालिका निगम कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी. डब्ल्यू. आर./901, दिनांक 14 अगस्त, 2000 है. प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक ..... के माध्यम से संस्था की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नानुसार अनियमितताएं संज्ञान में आईं.—

1. संस्था पंजीकृत पते पर विद्यमान नहीं है.
2. संस्था का रिकॉर्ड भी चार्ज में प्रभारी अधिकारी को नहीं दिया गया.
3. संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन हेतु नियत समय में एक भी नियोजन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया.
4. संस्था गत कई वर्षों से अकार्यशील है.
5. संस्था द्वारा अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बन्द कर दिया है.
6. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, नियम तथा पंजीकृत उपविधियों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त अनियमितताओं का उल्लेख कर कार्यालय के कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./1989, दिनांक 20 अगस्त, 2012 के माध्यम से सूचना भेजी गई थी. जिसका सूचना-पत्र का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक .....में भी कराया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधीन परिसमापन में लाया जावे? किन्तु दी गई समयावधि में संस्था ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 29 सितम्बर, 2012 को भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित हुआ. इससे स्पष्ट है कि संस्था को उक्त समस्त आरोप स्वीकार हैं.

अत: मैं, आर.सी. शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका निगम कर्म. साख सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु आदेश देता हूँ तथा संस्था की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस.सी..गुप्ता, व.स.नि. ग्वालियर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आर. सी. शर्मा,
सहायक आयुक्त (सहकारिता)
एवं सहायक पंजीयक

(585-A)

कार्यालय परिसमापक, श्री तिरूपति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगर

शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर, 2012

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अन्तर्गत)

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर के आदेश क्र./परि./2012/1101, दिनांक 29 सितम्बर, 2012 द्वारा श्री तिरूपति बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगर पं. क्र. 1019, दिनांक 25 मार्च, 2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मैं, एम. के. भटनागर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, आदर्श कॉलोनी, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर की संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एम. के. भटनागर,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(567)

कार्यालय परिसमापक, देहरी सहकारी संस्था मर्या., देहरी

दिनांक 08 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

देहरी सहकारी संस्था मर्या., देहरी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 507, दिनांक 13 अप्रैल, 1983 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1615, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(568)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरजना

दिनांक 09 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q2.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुरजना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 585, दिनांक 13 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 09 जुलाई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(568-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरसौदा

दिनांक 14 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सरसौदा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 23 जुलाई, 1976 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1410, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अनोखी दास पंथी,
परिसमापक.

(568-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा

दिनांक 11 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/01.— हरनावदा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक 573, दिनांक 13 नवम्बर, 2004 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1411, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(569)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ

दिनांक 11 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/02.—सोनकच्छ दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सोनकच्छ, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 17 जनवरी, 2003 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1619, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(569-A)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., महुड़ी

दिनांक 11 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/01.— महुड़ी दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., महुड़ी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास, जिसका पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास के आदेश क्रमांक 1620, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 11 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

विजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी,
परिसमापक.

(569-B)

कार्यालय परिसमापक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवल्यापिपलिया

दिनांक 09 जुलाई, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q1.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आवल्यापिपलिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 489, दिनांक 25 नवम्बर, 1982 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास के आदेश क्रमांक 131, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

महेन्द्र तिवारी,
परिसमापक.

(570)

कार्यालय परिसमापक,नावदा सहकारी संस्था मर्या., नावदा

दिनांक 05 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

नावदा सहकारी संस्था मर्या., नावदा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 332, दिनांक 01 मार्च, 1980 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास के आदेश क्रमांक 136/2012, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

हरिराम मालवीय,
परिसमापक.

(571)

कार्यालय परिसमापक, टोककला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या.,टोककला

दिनांक 06 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

टोककला दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., टोककला, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 286, दिनांक 11 सितम्बर, 1976 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास के आदेश क्रमांक 125, दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

रामेश्वर चौधरी,
परिसमापक.

(572)

कार्यालय परिसमापक,वुलमा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., वुलमा

दिनांक 06 सितम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

वुलमा दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., वुलमा, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 279, दिनांक 16 सितम्बर, 1976 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला देवास के आदेश क्रमांक 1408, दिनांक 25 मई, 2012 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मोहम्मद रफिक शेख,
परिसमापक.

(573)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/168, दिनांक 24 फरवरी, 2012 द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, तेदपुरवा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, पंजीयन क्रमांक 972, दिनांक 21 अक्टूबर, 2004 को संस्था के अकार्यशील होने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2012 तक यथेष्ट उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय निर्धारित किया गया था, किन्तु निर्धारित समय में कोई उत्तर प्राप्त न होने/प्राप्त उत्तर संतोषजनक न होने से पुन: पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/254, दिनांक 15 मार्च, 2012 से अंतिम सूचना-पत्र जारी किया गया तथा जवाब दिनांक 30 मार्च, 2012 तक चाहा गया फिर भी जवाब अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि संस्था को सभी आरोप स्वीकार हैं.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, रमेश प्रसाद पाल, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिंगरौली, (मध्यप्रदेश) उक्त संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70(1) अन्तर्गत श्री आर. एस. गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, को संस्था का परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि वे संस्था का समस्त अभिलेख शीघ्र ही अपने प्रभार में लेकर विधान के तहत् परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन एक माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

रमेश प्रसाद पाल,
उप रजिस्ट्रार.

(553-O)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विजयराघवगढ़, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 2 नवम्बर,2012

क्र./परि./2012/क्यू.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक स्था./11/472, कटनी दिनांक 15 जून, 2011 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, विवरण निम्न है:—

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	माल्हन मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, भगनवारा	36/18-11-2004	37/15-01-2009
2.	सुफला उद्यानिकी सहकारी समिति मर्यादित, पिपरियाकला	22/04-06-2002	34/15-01-2009

अत: मैं, अरविन्द कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

अरविन्द कुमार जैन,
सह. निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(575)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, ढीमरखेड़ा, जिला कटनी

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक स्था./750, कटनी, दिनांक 12 जून, 2012 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, विवरण निम्न है:—

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, चंदौल	292/14-03-1987	. .
2.	जय माँ शारदा उत्खनन सहकारी समिति मर्या., सर्लया	1715/21-07-1997	1314/09-11-2000
3.	शक्तिपुंज महिला बहु. उद्दे. सहकारी समिति मर्या., मुरवारी	2/06-09-2002	595/31-08-2009
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उमरियापान	440/6-10-1977	1102/16-04-1991
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमतरा	681/20-11-1988	1433/29-04-1997
6.	लोकचेतना साग-सब्जी,फल-फूल औषधि विप. सह. समिति मर्या., सिलौड़ी.	15/12-07-2001	39/19-01-2009
7.	कृषि उत्पादन साग-सब्जी, फल-फूल औषधि विप. सह. समिति मर्या., नैगई.	14/12-07-2001	35/15-01-2009

अत: मैं, गीतेश कुमार मेहरा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

गीतेश कुमार मेहरा,
सह. निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(576)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, रीठी, जिला कटनी

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक 11/472, कटनी, दिनांक 15 जून, 2011 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, विवरण निम्न है:—

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, इमलाज	541/	1114/16-04-1991
2.	शक्तिपुंज महिला बहु. उद्दे. सहकारी समिति मर्या., अमगवां	78/31-7-2007	593/31-08-2009
3.	सामूहिक उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., घुघरा	1761	1052/22-11-2007
4.	सामूहिक नलकूप सहकारी समिति मर्या., रैपुरा	1778	1053/22-11-2007
5.	हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., बिलहरी	776/27-3-1987	263/10-03-2006
6.	जयभारत चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलहरी	233/03-01-1999	864/11-09-2006

अत: मैं, एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

(577)

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के आदेश क्रमांक 11/472, कटनी, दिनांक 15 जून, 2011 मुझे निम्न सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, विवरण निम्न है:—

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	श्री गणेश मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, पड़वार	1445	1115/01-11-2006
2.	लक्ष्मी चावल दाल मिल उद्योग सहकारी समिति मर्या., स्लीमनाबाद	245/09-03-1965	3713/16-12-1990

अत: मैं, एस. के. जैन, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था/संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकॉर्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें. उक्त समयावधि के पश्चात् दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी.

एस. के. जैन,

(577-A) सह. निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 17 नवम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 ए/क (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/1911.— मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा सड़क, तहसील मनावर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 12 फरवरी, 1999 होकर संस्था को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परि./2012/1757 धार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 से कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया था एवं कारण बताओं सूचना-पत्र में दर्शित आरोपों के संबंध में पक्ष समर्थन मय साक्ष्य प्रमाण के प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09 नवम्बर, 2012 एवं व्यक्तिगत सुनवाई हेतु 12 नवम्बर, 2012 निर्धारित की गई थी. तामिली उपरांत भी निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही व्यक्गित सुनवाई हेतु उपस्थित रहे.

सोसाइटी पर अधिरोपित आरोपों का विवरण निम्नानुसार है:-

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18-ए/क (1) में प्रावधान है कि यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका है या जिन प्रयोजनों के लिये सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है तो सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा.

संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से पंजीकृत उपविधि के उद्देश्यानुसार सहकारिता के सिद्धांत व सदस्यों के हित में कार्य नहीं किया गया है.

2. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करने से संस्था को कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2009/839 धार, दिनांक 30 जून, 2009 से परिसमापन में लाया गया था. किन्तु सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2010/748 धार, दिनांक 26 मई, 2010 से पुनर्जीवित किया गया लेकिन पुनर्जीवित किये जाने के उपरांत भी संस्था का संचालन अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं शासन की मत्स्य नीति के प्रावधान अनुसार किया जाना नहीं पाया गया.

3. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962 एवं संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों का पालन नहीं करने एवं संस्था के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 27 मई, 2011 में दर्शित तथ्यों के आधार पर संस्था को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/973 धार, दिनांक 3 जून, 2011 से कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1159 धार, दिनांक 12 जुलाई, 2011 से परिसमापन में लाया गया था, किन्तु सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए पुन: दूसरी बार संस्था को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2012/972 धार, दिनांक 26 जून, 2012 से पुनजीर्वित किया गया लेकिन पुनजीर्वित किये जाने के उपरांत भी संस्था का संचालन अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि, एवं शासन की मत्स्य नीति के प्रावधान अनुसार नहीं किया जा रहा हैं.

4. संस्था सदस्यों द्वारा दिनांक 27 मई, 2011 को शिकायत की गई जिसमें सदस्यों को संस्था में सदस्यता दिये जाने की जानकारी नहीं होना एवं संस्था से कोई लाभ प्राप्त नहीं होना दर्शाया गया है. शिकायत आवेदन में दर्शित तथ्यों की जांच कराई गई. प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन अनुसार संस्था के 07 सदस्यों को सदस्यता दिये जाने की जानकारी नहीं होना व संस्था के अधिकांश सदस्यों को संस्था से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होना पाया गया हैं. इस प्रकार संस्था द्वारा संस्था सदस्यों के हितों के विरूद्ध कार्य करते हुए व्यक्ति विशेष के हित में कार्य करना पाया गया जो सहकारी संस्थाऐं अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधि एवं शासन की मत्स्य नीति के प्रावधानों के विपरीत है.

5. संस्था को जिला पंचायत धार के आदेश क्रमांक/1732/म./पट्टा/2005-06 धार, दिनांक 08 सितम्बर, 2005 से आबंटित जलाशय (सिंचाई तालाब जुलवानिया) की पट्टा अवधि दिनांक 30 जून, 2012 को समाप्त हो चुकी है. संस्था को जलाशय का पट्टा देने बाबत ग्राम सभा के प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 03 अगस्त, 2010 एवं विशेष ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव क्रमांक 31 दिनांक 05 जुलाई, 2011 से संस्था को जुलवानिया जलाशय पट्टे पर नहीं दिये जाने का निर्णय लिए जाने से संस्था को जलाशय उपलब्ध होने की संभावना भी समाप्त हो गई हैं.

6. संस्था में कुल 28 सदस्यों एवं जॉच प्रतिवेदन अनुसार अधिकांश संस्था सदस्यों को संस्था से लाभ प्राप्त नहीं होकर व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ होने से यह प्रतीत होता है कि संस्था में अधिकांश सदस्यों को फर्जी रूप से सदस्यता प्रदान की गई है.

आरोपों के संबंध में सोसाइटी द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित रहे. अत: सोसाइटी को सभी आरोप मान्य होकर प्रमाणित है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, नियम 1962, पंजीकृत उपविधि, पंजीयक के परिपत्र, मस्त्य नीति 2008 के प्रावधान अनुसार कार्य नहीं किये जाने एवं सहायक संचालक मत्स्य उद्योग जिला धार के पत्र क्रमांक/851/म./सहकारिता/2012-13 धार, दिनांक 5 नवम्बर, 2012 से संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाने से संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं भंवर मकवाना, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी-भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18-ए/क (1) के अंतर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा सड़क तह. मनावर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा धारा-18-ए/क (2) के अंतर्गत श्री के. के. जमरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, मनावर को शासकीय समनुदेशिती नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 17 नवम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

भंवर मकवाना,
उप-रजिस्ट्रार

(586)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012-अग्रहायण 16, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 22 अगस्त, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है .

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील जौरा, कैलारस (मुरैना), घाटीगांव (ग्वालियर), खनियाधाना, नरवर (शिवपुरी), छतरपुर (छतरपुर), मझगवां, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), कोतमा (अनूपपुर), मल्हारगढ़ (मंदसौर), खाचरौद, महिदपुर, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), जोवट, उदयगढ़, अलीराजपुर, भामरा (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुक्षी, गंधवानी (धार), महेश्वर,सेगांव, गोगावां, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), राजपुर, पानसेमल, बरला(बड़वानी), कुरवाई, नटेरन (विदिशा), भैंसदेही (बैतूल), विजयराघवगढ़ (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील सबलगढ़ (मुरैना), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), पिछोर, करैरा (शिवपुरी), लौण्डी, गौरीहार (छतरपुर), हटा (दमोह), रामनगर (सतना), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), गोपदवनास, सिंहावल, कुसमी, चुरहट (सीधी), मंदसौर, धुन्धड़का, सीतामऊ (मंदसौर), घटिया, उज्जैन (उज्जैन), खरगौन, कसरावद (खरगौन), निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), बासौदा, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), आठनेर (बैतूल), बहोरीबंद, बरही (कटनी), कुरई, धनोरा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना (मुरैना), डबरा (ग्वालियर), सेवढ़ा (दतिया), ईसागढ़ (अशोकनगर), बल्देवगढ़ (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), पटेरा (दमोह), उचेहरा, अमरपाटन (सतना), मझोली, रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासरा-टप्पा, गरोठ, शामगढ़ (मंदसौर), तराना (उज्जैन), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), बड़वाह (खरगौन), नेपानगर (बुरहानपुर) लटेरी, सिरोंज (विदिशा), शाहपुर, बैतूल (बैतूल), सीहोरा (जबलपुर), डिण्डोरी (डिण्डोरी), लखानादौन, घंसौर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, (मुरैना), श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़,

पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जबेरा, तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान, नागौद (सतना), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), भानपुरा, संजीत (मन्दसौर), जावद (नीमच), मो. बड़ोदिया, सुसनेर,नलखेड़ा, आगर, बड़ोद, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल,गुलाना (शाजापुर) खकनार (बुरहानपुर), जीरापुर (खिलचीपुर), राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहपुर (राजगढ़), बैरसिया, हुजूर (भोपाल), घोड़ाडोंगरी, चिचौली, मुलताई, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बाबई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर, मझौली, कुण्डम (जबलपुर), कटनी, रीठी, ढीमरखेड़ा, बड़वारा (कटनी), गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला) शाहपुर (डिण्डोरी), चौरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, बरघाट, छपारा (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(उ) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.—तहसील नीमच, मनासा (नीमच), पचमढ़ी (होशंगाबाद), छिन्दवाड़ा, सोंसर, अमरवाड़ा, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ई) 450.1 मि. मी. से अधिकतम तक.—तहसील सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुधनी (सीहोर), जुन्नारदेव, परासिया, जामई, पांढुर्णा, बिछुआ, हर्रई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, जबलपुर, मण्डला, सिवनी में जुताई व ग्वालियर, सतना, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, भोपाल तथा सिवनी में धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—ज़िला ग्वालियर, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, मण्डला, सीधी में खरीफ फसल की बोनी व डिण्डोरी में जगनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला अशोकनगर में फसलों पर कहीं-कहीं इल्ली का प्रकोप है.

5. **कटाई.**—

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, शहडोल, सीधी, झाबुआ, बड़वानी तथा विदिशा में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22 अगस्त, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	101.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	102.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	39.0				
4. जौरा	04.0				
5. सबलगढ़	33.0				
6. कैलारस	15.0				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	127.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	70.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	73.8				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	27.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	35.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	33.0				
4. घाटीगांव	11.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	35.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	55.0		(2) . .	. .	
3. भाण्डेर	68.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त. .
1. शिवपुरी	120.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	25.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	10.0				
4. नरवर	9.0				
5. करैरा	22.0				
6. कोलारस	86.0				
7. पोहरी	55.0				
8. बदरवास	65.0				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. इल्ली का प्रकोप.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	73.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	41.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	121.0				
4. चन्देरी	67.0				
.					
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	68.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	82.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	165.0				
4. लिधोरा	. .				
5. टीकमगढ़	86.0				
6. मोहनगढ़	. .				
7. बल्देवगढ़	44.0				
8. पलेरा	75.0				
9. खरगापुर	. .				
10. ओरछा	76.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	25.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	33.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	35.0				
4. छतरपुर	9.0				
5. राजनगर	76.8				
6. बिजावर	179.0				
7. बड़ामलहरा	110.6				
8. बकस्वाहा	95.2				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	82.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	77.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	112.0				
4. पवई	190.0				
5. शाहनगर	63.0				
***जिला सागर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	24.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	62.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	57.2				
4. पथरिया	77.2				
5. जवेरा	124.0				
6. तेन्दूखेड़ा	94.6				
7. पटेरा	36.0				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रघुराजनगर	95.1	चालू है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	17.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	97.0				
4. नागौद	55.6				
5. उचेहरा	38.0				
6. अमरपाटन	35.0				
7. रामनगर	23.0				
8. मैहर	10.0				
9. बिरसिंहपुर	4.0				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. .	3. ..	5. ..	7. ..
1. त्यौंथर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. सिरमौर	..		(2) ..		
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..	चालू है.	4.(1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढार	..				
6. गोहपारू	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	29.8	का कार्य चालू है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	24.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	15.0				
4. पुष्पराजगढ़	69.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	61.5	का कार्य चालू है.	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	97.0		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	58.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं खरीफ फसल की बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	25.1		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	31.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझोली	37.0				
4. कुसमी	23.0				
5. चुरहट	34.5				
6. रामपुरनैकि	45.5				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	37.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	85.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	17.3				
4. गरोठ	40.4				
5. मन्दसौर	27.0				
6. संजीत	61.0				
7. सीतामऊ	27.4				
8. शामगढ़	46.6				
9. धुन्धड़का	35.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	59.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	295.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	291.3				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	7.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	50.2				
4. घटिया	19.0				
5. उज्जैन	19.0				
6. बड़नगर	1.0				
7. नागदा	11.0				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	90.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	65.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	125.0				
4. आगर	169.0				
5. बड़ौद	133.0				
6. शाजापुर	85.9				
7. शुजालपुर	148.0				
8. कालापीपल	123.0				
9. गुलाना	154.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. . .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	4.4				
5. राणापुर	3.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. जोवट	3.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. उदयगढ़	12.4		(2) . .	. .	
3. अलीराजपुर	10.0				
4. भामरा/च.आ.नगर	3.0				
5. कट्टीवाड़ा	39.3				
6. सोण्डवा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	11.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	5.3				
4. कुक्षी	3.7				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	9.0				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	51.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	6.3				
4. सेगांव	16.0				
5. करही	. .				
6. खरगोन	26.6				
7. गोगावां	6.0				
8. कसरावद	18.0				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	11.3				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	7.0				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	5.0				
4. सेंधवा	12.0				
5. पानसेमल	6.0				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	17.6				
8. अंजड	. .				
9. बरला	12.0				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	18.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	75.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	50.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	91.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	172.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	117.0				
4. ब्यावरा	196.4				
5. सारंगपुर	188.8				
6. नरसिंहगढ़	220.5				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	52.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	43.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	14.0				
4. बासौदा	21.0				
5. नटेरन	10.0				
6. विदिशा	26.6				
7. ग्यारसपुर	24.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	103.2	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	185.2		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	681.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	863.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	905.0				
4. नसरुल्लागंज	1240.0				
5. बुधनी	1404.0				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	6.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	75.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	36.6				
4. चिचोली	61.0				
5. बैतूल	36.4				
6. मुलताई	61.4				
7. आठनेर	25.4				
8. आमला	88.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	118.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	88.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	115.0				
4. इटारसी	169.0				
5. सोहागपुर	75.0				
6. पिपरिया	114.0				
7. वनखेड़ी	169.0				
8. पचमढ़ी	268.2				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	45.2	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	132.8		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	67.5				
4. मझौली	65.3				
5. कुण्डम	163.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	115.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	82.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	14.0				
4. बहोरीबंद	26.0				
5. ढीमरखेड़ा	98.0				
6. बरही	25.0				
7. बड़वारा	85.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	203.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	109.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	220.0				
4. गोटेगांव	138.0				
5. तेन्दूखेड़ा	81.0				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	78.5	कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	82.5		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	61.9				
4. मण्डला	65.6				
5. घुघरी	94.8				
6. नारायणगंज	153.3				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जगनी की बोनी का कार्य	3. . .	5. . .	7. . .
1. डिण्डोरी	51.7	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	87.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. छिन्दवाड़ा	281.8		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	579.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	467.8				
4. जामई (तामिया)	864.8				
5. सोंसर	303.4				
6. पांढुर्णा	458.6				
7. अमरवाड़ा	371.2				
8. चौरई	177.8				
9. बिछुआ	533.3				
10. हर्रई	510.9				
11. मोहखेड़ा	384.6				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं धान फसल	3. . .		
1. सिवनी	55.0	की रोपाई का कार्य चालू	4. (1) . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. केवलारी	55.0	है.	(2) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लखनादौन	46.0			चारा पर्याप्त.	
4. बरघाट	92.4				
5. कुरई	25.0				
6. घंसौर	38.0				
7. धनोरा	18.7				
8. छपारा	160.4				
***जिला बालाघाट :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, सागर, रीवा, रतलाम, खण्डवा, रायसेन, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(579)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2012.